[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 39/2025–26
नई दिल्ली, दिनांकः 03 अक्टूबर, 2025

विषयः आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची–II (निर्यात नीति) के एचएसएन 1006 के तहत निर्यात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023, के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा चावल (बासमती और गैर–बासमती) के निर्यात के लिए उप–शीर्षक 1006 की नीतिगत शर्त में तत्काल प्रभाव से अधिसूचना संख्या 62/2024–25 दिनांक 10.03.2025 में निम्नलिखित संशोधन करती हैः

2. निर्यात नीतिगत शर्तों को निम्नलिखित आइटीसी (एचएस) कोड के तहत मौजूदा प्रविष्टियों के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधित करके अधिसूचित किया गया हैः–

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	निर्यात नीतिगत शर्त
1006 2000 1006 3011 1006 3019 1006 3091 1006 3099 1006 4000	गैर–बासमती चावल	i. यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और यूरोपीय देशों नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड लिचटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड को निर्यात की अनुमति निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने के अध्यधीन दी गई है। ii. निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए अर्थात **02.04.2026 तक** शेष यूरोपीय देशों को निर्यात के लिए अनिवार्य नहीं होगा।
1006 3012 1006 3092	बासमती चावल	

अधिसूचना का प्रभावः चावल (बासमती और गैर–बासमती) निर्यातों के लिए ईआइसी/ईआइए से निरीक्षण प्रमाणपत्र की आवश्यकता यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, यूके, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड तक सीमित है। अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने के लिए इस आवश्यकता से छूट प्राप्त हैं।

(अजय भादू)
अपर सचिव, भारत सरकार एवं
महानिदेशक विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/35/एएम20/ईसी/ई–फाइल/ई–18655 से जारी)